द्वितीय माला, खण्ड ५०—अंक १०

सोमवार, २७ फरवरी, १९६१

८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५० में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

१ रुपया (देश में)

४ शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

सोमवार, २७ फरवरी, १९६१/८, फाल्गुन १८८२ (शक)

पृष्ठ

निधन सम्बन्धी उल्लेख . ९९५

दैनिक संक्षेपिका ९९६

समेकित विषय सूची (फरवरी १४ से २६, १९६१ माघ २५ से ८, फाल्गुन, १८८२(शक)

लोक-सभा

सोमवार, २७ फरवरी १९६१

८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक सभा ~~१२~~ ११ बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि आज नई दिल्ली में ४ बजे सुबह पंडित गोविन्द मालवीय की शोकपूर्ण मृत्यु हो गई है । उनकी अवस्था ५९ वर्ष थी ।

पंडित मालवीय उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर निर्वाचित क्षेत्र से इस सभा के सदस्य चुने गये थे । वह इस सभा के वर्तमान सदस्य थे । पंडित मालवीय १९४५–४७ में भारत की केन्द्रीय विधान सभा के, १९४६–५० के दौरान भारत की संविधान सभा और १९५०–५२ के दौरान अस्थायी संसद् के सदस्य रह चुके थे । उनके सम्पर्क में आने वाले सभी सदस्य जानते हैं कि वह एक साहसी योद्धा और बड़े अच्छे वक्ता थे । वह संसद् के वाद-विवाद में काफी योग देते रहे । पंडित मालवीय १९४८ से १९५२ तक बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे थे ।

हम अपने मित्र के निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करते हैं । मुझे विश्वास है कि मृत आत्मा के परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करने में सभा मेरा साथ देगी ।

इसके पश्चात् सभासद् एक मिन्ट के लिये मौन खड़े रहे

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रथा के अनुसार, अब सभा की बैठक दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जायेगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१/९ फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

सोमवार, २७ फरवरी, १९६१

८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

विषय **पृष्ठ**

निधन सम्बन्धी उल्लेख ९९५

अध्यक्ष महोदय ने पंडित गोविन्द मालवीय के जो वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे, देहावसान का उल्लेख किया ।

इसके पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे और सभा की बैठक दिन भर के लिये स्थगित हुई ।

मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१/९ फाल्गुन, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

१९६१–६२ के रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा, और १९६१–६२ के आयव्ययक (सामान्य) का उपस्थापन ।

PLS. 41. L. 10. 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय की संसदीय शाखा में मुद्रित ।